मलो बनाम नानिका
95/12
निर्णय तिथिः— 23.9.2024

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

राजाखेडा—धौलपुर

(पीठासीन अधिकारी —सुश्री मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 95/12 दर्ज तिथिः— 24.9.12

1. मालो वेवा करनसिंह आयु करीब 70 वर्ष कौम बघेला निवासी अच्दी पुरा तह0 बाह हाल निवास महाब तहसील खेरागढ आगरा।
2. चरनदेई पुत्री करनसिंह पत्नी कप्तानसिंह कौम बघेला निवासी महाब तहसील खेरागढ आगरा।
3. मीना पुत्री करनसिंह कौम बघेला पत्नी पूरनसिंह निवासी ढोड का पुरा तह0 राजाखेडा।

.....वादीगण

बनाम

1. ननिका पुत्र करनसिंह कौम बघेला निवासी अच्छीपुरा तहसील फतेहाबाद जिला आगरा
2. शिवदेई पत्नी नाहरसिंह कौम राजपूत निवासी धारापुरा तहसील राजाखेडा।
3. तहसीलदार जी राजाखेडा वहैसियत लेन्ड होल्डर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः—
वादी अधिवक्ताः— श्री अश्विनी कुमार जैन
प्रतिवादी अधिवक्ताः— मुकेश कुमार कमठान।
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,88,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 23.9.2024

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा— 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्वत्व घोषणा बंटवारा काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा दुरस्ती इन्द्राजात के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी गांव धारापुरा तह0 राजाखेडा स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

ख0न0	रकबा
2419/2269	3.0 तीन बीघा

उपरोक्त विवादित आराजी सावक में वादिया स0 1 के पति एवं बादीगण स0 2,3 के पिता करनसिंह की तन्हा खातेदारी काश्त एवं वास्तविक कब्जे की थी। मु0 करनसिंह का देहान्त अर्सा करीबन 3 वर्ष पूर्व हो चुका है मृतक के नजदीकी जायज वारिस एवपं ग्राबिज तर्का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ननिका हुये वि0 आराजी में उनका 1/4—1/4 हिस्सा है अर्थात कुल 3/4 हिस्सा है मुताबिक Hindu succession act बादीगण प्रथम श्रेणी के दायद है और हिस्सा बराबर—बराबर के मृतक द्वारा छोडी विवादित आराजी एवं अन्य सम्पत्ति के वारिस एवं स्वामी हुये मु0 करनसिंह की मृत्यु निर्वसियत

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

हुई थी। मु करनसिंह की मृत्यु के बाद वि0 आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार बादीगण आज तक काश्त व फसल का बदस्तूर फायदा लेती आ रही है, उन्होने अपना हिस्सा 3/4 आज किसी अन्य के हक में तर्क–त्याज्य नहीं किया है। वादिया स0 1 को उसका पुत्र प्रतिवादी स0 1 सही प्रकार से नहीं रखता और न उसका भरण पोषण ही करता है उक्त स्थिति में वह मजबूरन अपनी पुत्रियों बादीगण स0 2,3 के पास रह कर अपने जीवन के अन्तिम दिन व्यतीत कर रही है। दिनांक 20.9.12 को वादिया स0 1 अपनी दौनों पुत्रियों (बादीगण स0 2–3) को लेकर वि0 आराजी में तैयारशुदा फसल बाजरा को देखने पहुचें तो वहां प्रतिवादी सं0 2 अपने पति के साथ आ गई और बोली कि अब ये खेत तुम्हारा नहीं है आइन्दा इस पर पैर मत रखना हमने तो पटवारी हल्का आदि से मिलजुल कर साजिशन अकेले ननिका के नाम विरासत दर्ज करवा कर अपने नाम बैनामा भी करा लिया रिकॉर्ड में नाम भी चढवा लिये अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तब वादीगण को बहुत ही दुःख एवं आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात वादीगण उसी समय दुःखी होकर तहसील पहुची वहां से नकूलात आदि की प्राप्त कर जानकारी की तो उनहे सर्वप्रथम पता चला कि प्रतिवादी स0 1, 2 ने पटवारी हल्का/सरपंच आदि की साजिस से फर्जीकारी कर अवैध झूठी कार्यवाही कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के दुःराशय से स्व0 करनसिंह की मृत्यु के बाद बादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर वारिस दर्ज ही नही होने दिये है सिर्फ प्रतिवादी स0 1 के नाम ही अवैध रूप से म्यूटेशन दर्ज करा दिया है जो बिल्कुल अवैध है। जिससे वादीगण के हक–हकूक समाप्त नहीं हो सकते । उक्त अवैध इन्द्राजात की आड में ही प्रतिवादी स0 2 ने अपेन पति की साजिश से प्रतिवादी स0 1 से बिना किसी अधिकार हक हिस्सा कब्जा के सम्पूर्ण वि0 आराजी का विक्रय–पत्र निष्पादित करा लिया है जो बिल्कुल अवैध गैर कानूनी है जिससे प्रतिवादी स0 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते विक्रय पत्र बहक प्रतिवादी संख्या 2 Null and void है जिसे ignore किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त जानकारी करने के बाद बादीगण दिनांक 21.9.12 को प्रतिवादीगण से जाकर मिली और उनसे उपरोक्त प्रकार की सारी अवैध फर्जी कार्यवाही के बारे में बताया तथा बाहमी तौर पर इन्द्राज दुरूस्ती कराने की बटवारे की कहा तो दोनों ही हम बादीगण के हकूको से स्पष्टतः इन्कारी हो गये और प्रतिवादी स0 2 ने कहा कि अभी तो हमने विवादित आराजी अपने नाम ही कराई है अब हम तम्हे खेत पर पैर भी नहीं रखने देंगे काश्त व फसल का फायदा भी नहीं लेने देंगे तथा शीघ्र ही पुनः खुर्द–बुर्द कर रहन–वय–मुन्तिकुल करेगे देखे हमारा कोई क्या करेगा। उक्त स्थिति में उन्हे यह आवश्यक हो गया कि वे हकूकों की घोषणा जरिये अदालत कराये अतः यही बिनाय मुखालमत वास्ते दायरी दावा अन्दर हदूद अदालत पैदा हुई है। वाद पत्र के अन्त में निवेदन किया है कि वि0 आराजी मु0 मद–न0 1 वादपत्र में बादीगण हिस्सा 1/4–1/4 की कुल 3/4 भाग की खातेदार काश्तकार है काबिज है तदनुसार वि0 आराजी का विभाजन किया जाकर बादीगण का 3/4 हिस्सा का खाता एवं लगान पृथक किया जाकर बाकई काब्जा दिलाया जावे तदनुसार इन्द्राजात दुरस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वि आराजी के बादीगण के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा नहीं करे उन्हे काश्त व फसल लेने से नहीं रोके एवं अन्य अनुतोष जो भी न्यायानुकूल हो बादीगण को दिलाया जावे। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति. स0 01 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आए अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार राजाखेडा न्यायालय में उपस्थित उनके द्वारा कोई जबावदेही नहीं की गयी। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जरिये अभिभाषक प्रस्तुत जबाव दावा में दावा वादीगण के कथनों से इन्कारी करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

कथन किया कि विवादित आराजी के करनसिंह खातेदार काश्तकार थे परन्तु उस पर कभी भी उनका स्वामित्व व अधिपत्य नही रहा एवं बादीगण एक करनसिंह की पत्नी एवं बादी संख्या 2 व 3 करनसिंह की पुत्रियां नहीं है करनसिंह का एक मात्र पुत्र नानिका था जिसके हक में करनसिंह ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत की थी जिसके आधार पर करनसिंह का पुत्र नानिका करनसिंह द्वारा छोडी गयी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का स्वामी हुआ करनसिंह का देहान्त काफी समय पूर्व हो चुका था जिसका उत्तराधिकारी मात्र नानिका पुत्र है जिसने विवादित अराजी के अलावा अन्य सम्पत्ति का समस्त तर्का प्राप्त किया । वादीगण का उसमें कोई भी हिस्सा एवं कोई स्वत्व व हित निहित नहीं है। वादीगण मृतक करनसिंह के उत्तराधिकारी नहीं है ना ही उन्होंने कोई विवादित आराजी में कोई स्वत्व व हित प्राप्त किया । करनसिंह ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र नानिका के वसीयत निष्पादित की थी जिसके आधार पर नानिका समस्त आराजी का खातेदार काश्तकार हुआ। विवादित आराजी में बादीगण का कोई स्वत्व व हित व हिस्सा निहित नही है ना ही उन्होंने कभी विवादित आराजी काश्त की ना ही उन्होने कभी फसल बाजरा पैदा की। करनसिंह का एकमात्र पुत्र नानिका था दिनांक 20.9.2012 को बादियागण की प्रतिवादी सं 2 से कोई किसी प्रकार की वार्ता नहीं हुई है। विवादित आराजी का नानिका ने प्रतिवादिया संख्या–2 के पक्ष में सम्पूर्ण राशि प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर विक्रय पत्र पंजीयन व निष्पादित कराया है । विवादित आराजी पर प्रतिवादिया उत्तरदाता का कब्जा करनसिंह के समय से ही है तथा करनसिंह ने उत्तरदाता को उक्त आराजी हमेशा–हमेशा के लिए काश्त पर दी थी जिस पर वादिया का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व अधिकार प्राप्त होते है तथा वह खातेदार काश्तकार हो चुकी थी। बोनाफाइड परचेजर है। तथा समस्त स्वत्व व हित प्राप्त कर सम्पूर्ण आराजी पर कृषि लाभ प्राप्त कर रहे है। वादीगण ने जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार दावा पेश किया है वादीगण द्वारा जिस नामांतकरण को अवैध बताया उसकी न तो कोई अपील की गयी है ना ही अन्य कानूनी कार्यवाही की गयी है जिससे वादियागण दावा प्रस्तुत करने के लिये प्रतिबंध है तथा वादियागण करनसिंह की उत्तराधिकारी किसी प्रकार से नहीं है तथा उनके किसी भी प्रकार से विवादित आराजी में हित व स्वत्व निहित नहीं है। प्रतिवादी उत्तरदाता ने किसी भी प्रकार से अवैधानिक रूप से स्वयं के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीयन नहीं कराया है उसने विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर तथा समुचित प्रतिफल अदा करके विवादित आराजी को क्रय किया है तथाकथित विक्रय पत्र गैर कानूनी नही है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 उत्तरदाता के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र नल एवं वायड नहीं है। जब तक तथाकथित विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय दीवानी न्यायालय से नल एण्ड वायड घोषित नहीं किया जा सकता तब तक वादियागण को विवादित आराजी में हक व स्वत्व प्राप्त नही होते है। जबाव दावा के अन्त में निवेदन किया है कि विवादित आराजी पर बादियागण का कोई भी स्वत्व व हित एवं आधिपत्य न होने के कारण बाद बादियागण पोषणीय नही है बादियागण ने उक्त वाद उत्तरदाता को अनाधिकृत रूप से तंग व परेशान व आर्थिक अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये किया है। अतः बाद बादियागण विरूद्ध प्रतिवादी उत्तरदाता मय हर्जे खर्चे के निरस्त किया जावे।

3. पत्रावली में प्रस्तुत वाद पत्र एवं जबाव दावा प्रतिवादीगण के आधार पर निम्न तनकी कायम किए गए:–

1. आया कि वि0 आराजी बादिया के पिता करनसिंह की तन्हा खातेदारी काश्त व कब्जे की थी।

.....वादी

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

2. आया वि आराजी में बादिया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है पिता करनसिंह की मृत्यु के बाद वि0 आराजी में प्रत्येक का हिस्सा 1/4–1/4 है अर्थात कुल 3/4 हिस्सा है जिसकी व खातेदार काश्तकार है।

.....वादी

3. आया प्रति स0 1 नानिका के खिलाफ कायतदा कानून एच0एस0 एक्ट तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करा लिया जो अवैध है जिससे बादीगण के अधिकार समाप्त नहीं होते ।

.....वादी

4. आया बादीगण स्व0 करनसिंह की पुत्रिया नहीं है।

.....प्रतिवादी

5. आया करनसिंह ने नानिका के हक में वसियत की थी जिसके आधार पर तन्हा नानिका समस्त चल अचल सम्पत्ति का स्वामी हुआ।

.....प्रतिवादी

6. आया प्रतिवादी स0 2 का वि0 आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व अधिकारी प्राप्त हो गये है, उसकी हैसियत खातेदार काश्तकार की हो चुकी है।

.....प्रतिवादी

7. आया बादीगण का वि0 आराजी में कोई स्वत्व हित अधिपत्य नहीं है। अतः दावा पोषणीय नहीं हैं

.....प्रतिवादी

8. अनुतोष।

4. वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजीय साक्ष्य स्वीकार किये जाकर निम्न प्रकार प्रदर्श अंकित कर शामिल पत्रावली किये गयेः–
   1. नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 वाके ग्राम धारापुरा (प्रदर्श 01)
   2. परिवार रजिस्टर गांव अंछीपुरा विकास खण्ड शमशाबाद तहसील फतेहाबाद (प्रदर्श 02)
   3. प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बास दानसहाय कुर्रा चितरपुर आगरा (प्रदर्श 03)

5. वादी ने अपने दावे के समर्थन में बयान गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त बयान गवाह साक्ष्य स्वीकार किये जाकर शामिल पत्रावली किये गयेः–
   1. मीना पिता करनसिंह पत्नी पूरनसिंह जाति बघेल उम्र 42 वर्ष धारापुरा राजाखेडा। PW-1
   2. शिवदेई पत्नी नाहरसिंह उम्र 65 जाति राजपूत ठाकुर धारापुरा राजाखेडा। DW-1
   3. लाखन पुत्र बेताल सिंह उम्र 60 वर्ष जाति ठाकुर धारापुरा राजाखेडा। DW-2
   4. मुखिया उर्फ मुकेश पुत्र श्री खुशीलाल उम्र लगभग 50 वर्ष जाति ठाकुर धारापुरा तह. राजाखेडा। DW-3 (वकील प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि साक्ष्य प्रतिवादी में जो शपथ पत्र पेश किये गये है उसी को ही हमारे साक्ष्य मान लिया जावे।)

6. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए कथन किया कि वि0 आराजी मु0 मद न0 1 वादपत्र में बादीगण हिस्सा 1/4–1/4 की कुल 3/4

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

भाग की खातेदार काश्तकार है काबिज है तदनुसार वि0 आराजी का विभाजन किया जाकर बादीगण का 3/4 हिस्सा का खाता एवं लगान पृथक किया जाकर बाकई काब्जा दिलाया जावे तदनुसार इन्द्राजात दुरस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वि आराजी के बादीगण के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा नहीं करे उन्हे काश्त व फराल लेने से नहीं रोके तथा वकील प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के दौरान जबाव दावा के तथ्यों मात्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी में बादीगण का कोई स्वत्व व हित व हिस्सा निहित नही है ना ही उन्होंने कभी विवादित आराजी काश्त की ना ही उन्होने कभी फसल बाजरा पैदा की। करनसिंह का एकमात्र पुत्र नानिका था दिनांक 20.9.2012 को बादियागण की प्रतिवादी सं 2 से कोई किसी प्रकार की वार्ता नहीं हुई है। विवादित आराजी का नानिका ने प्रतिवादिया संख्या–2 के पक्ष में सम्पूर्ण राशि प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर विक्रय पत्र पंजीयन व निष्पादित कराया है । विवादित आराजी पर प्रतिवादिया उत्तरदाता का कब्जा करनसिंह के समय से ही है तथा करनसिंह ने उत्तरदाता को उक्त आराजी हमेशा–हमेशा के लिए काश्त पर दी थी जिस पर वादिया का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व अधिकार प्राप्त होते है तथा वह खातेदार काश्तकार हो चुकी थी। बोनाफाइड परचेजर है। तथा समस्त स्वत्व व हित प्राप्त कर सम्पूर्ण आराजी पर कृषि लाभ प्राप्त कर रहे है। वादीगण ने जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार दावा पेश किया है वादीगण द्वारा जिस नामांतकरण को अवैध बताया उसकी न तो कोई अपील की गयी है ना ही अन्य कानूनी कार्यवाही की गयी है जिससे वादियागण दावा प्रस्तुत करने के लिये प्रतिबंध है तथा वादियागण करनसिंह की उत्तराधिकारी किसी प्रकार से नहीं है तथा उनके किसी भी प्रकार से विवादित आराजी में हित व स्वत्व निहित नहीं है। प्रतिवादी उत्तरदाता ने किसी भी प्रकार से अवैधानिक रूप से स्वयं के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीयन नहीं कराया है उसने विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर तथा समुचित प्रतिफल अदा करके विवादित आराजी को क्रय किया है तथाकथित विक्रय पत्र गैर कानूनी नही है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 उत्तरदाता के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र नल एवं वायड नहीं है। जब तक तथाकथित विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय दीवानी न्यायालय से नल एण्ड वायड घोषित नहीं किया जा सकता तब तक वादियागण को विवादित आराजी में हक व स्वत्व प्राप्त नही होते है। जबाव दावा के अन्त में निवेदन किया है कि विवादित आराजी पर बादियागण का कोई भी स्वत्व व हित एवं आधिपत्य न होने के कारण बाद बादियागण पोषणीय नही है बादियागण ने उक्त वाद उत्तरदाता को अनाधिकृत रूप से तंग व परेशान व आर्थिक अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये किया है। अतः बाद बादियागण विरूद्ध प्रतिवादी उत्तरदाता मय हर्जे खर्चे के निरस्त किया जावे।

7. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर तनकीवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम तनकी संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार है:–

    1. आया कि वि0 आराजी बादिया के पिता करनसिंह की तन्हा खातेदारी काश्त व कब्जे की थी।

.....वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। लेकिन वादी अपने दस्तावेजीय साक्ष्य प्रदर्श–01 लगायत 03 एवं गवाह साक्ष्य पी. डब्ल्यू.–01 एवं बहस के आधार पर उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे है अतः तनकी संख्या 1 अस्वीकार की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़

2. आया वि आराजी में बादिया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है पिता करनसिंह की मृत्यु के बाद वि0 आराजी में प्रत्येक का हिस्सा 1/4–1/4 है अर्थात कुल 3/4 हिस्सा है जिसकी व खातेदार काश्तकार है।

.....वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। लेकिन वादी अपने दस्तावेजीय साक्ष्य प्रदर्श–01 लगायत 03 एवं गवाह साक्ष्य पी. डब्ल्यू. –01 एवं बहस के आधार पर उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे है अतः तनकी संख्या 2 अस्वीकार की जाती है।

3. आया प्रति स0 1 नानिका के खिलाफ कायतदा कानून एच0एस0 एक्ट तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज–करा–लिया जो अवैध है जिससे बादीगण के अधिकार समाप्त नहीं होते ।

.....वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। लेकिन वादी अपने दस्तावेजीय साक्ष्य प्रदर्श–01 लगायत 03 एवं गवाह साक्ष्य पी. डब्ल्यू.–01 एवं बहस के आधार पर उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे है अतः तनकी संख्या 3 अस्वीकार की जाती है।

4. आया बादीगण स्व0 करनसिंह की पुत्रिया नहीं है।

..... प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसे प्रतिवादी अपने जबाव दावा एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात एवं बहस से सिद्व होती है। अतः तनकी संख्या 4 स्वीकार की जाती है।

5. आया करनसिंह ने ननिका के हक में वसियत की थी जिसके आधार पर तन्हा नानिका समस्त चल अचल सम्पत्ति का स्वामी हुआ।

..... प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसे प्रतिवादी अपने जबाव दावा एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात एवं बहस से सिद्व होती है। अतः तनकी संख्या 5 स्वीकार की जाती है।

6. आया प्रतिवादी स0 2 का वि0 आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व अधिकारी प्राप्त हो गये है, उसकी हैसियत खातेदार काश्तकार की हो चुकी है।

..... प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसे प्रतिवादी अपने जबाव दावा एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात एवं बहस से सिद्व होती है। अतः तनकी संख्या 6 स्वीकार की जाती है।

7. आया बादीगण का वि0 आराजी में कोई स्वत्व हित अधिपत्य नहीं है। अतः दावा पोषणीय नहीं हैं

..... प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसे प्रतिवादी अपने जबाव दावा एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात एवं बहस से सिद्व होती है। अतः तनकी संख्या 7 स्वीकार की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन तथा पत्रावली के अवलोकन के पश्चात स्पष्ट है वादीगण द्वारा अपना दावा सिद्व करने हेतु पर्याप्त दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए है वादीगण दस्तावेजातों के अभाव में अपना दावा सिद्व करने में असफल रहे है। साथ ही वादीगण के दस्तावेजीय साक्ष्य प्रदर्श–01 लगायत 03 एवं गवाह साक्ष्य पी. डब्ल्यू. –01 के आधार पर दावा सिद्व करने में असफल रहे है। तथा तनकी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

लगा0 3 वादी के पक्ष में अस्वीकार की जा चुकी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम दावा वादीगण खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश है कि

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53. 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 दस्तावेजात के अभाव में खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो ।

आज यह निर्णय दिनांक 23.9.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)
उपखण्डाधिकारी
राजाखेडा